



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

वर्ष 2019-20 के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की अनुदानों की पूरक मांगें
(01 अप्रैल, 2019 से 30 अक्टूबर, 2019)
जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का बजट, 2019-20
(31 अक्टूबर, 2019-31 मार्च, 2020)
तथा
जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट, 2020-21

निर्मला सीतारामन
वित्त मंत्री
का
भाषण

**Supplementary Demand for Grants of State of Jammu and Kashmir for 2019-20
(01st April, 2019 to 30th October, 2019),
Budget of the Union Territory of J&K and the Union Territory of Ladakh for 2019-20
(31st October, 2019-31st March, 2020)
and
Budget for the Union Territory of the Jammu & Kashmir for 2020-21**

**SPEECH
OF
NIRMALA SITHARAMAN
MINISTER OF FINANCE**

मार्च / March 17, 2020

वर्ष 2019-20 के लिए जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्य की अनुदानों की पूरक मांगें
(01 अप्रैल, 2019 से 30 अक्तूबर, 2019)
जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का बजट, 2019-20
(31 अक्तूबर, 2019-31 मार्च, 2020)

तथा
जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट, 2020-21

निर्मला सीतारामन

वित्त मंत्री

का भाषण

मार्च 17, 2020

अध्यक्ष महोदय,

1. इस गरिमामयी सदन के माननीय सदस्य अवगत होंगे कि जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 को लागू करके 19 जून, 2018 को पूर्व के जम्मू और कश्मीर राज्य को राज्यपाल शासन के अधीन कर दिया गया था। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल शासन के छह माह समाप्त होने के पश्चात भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया और पूर्व के जम्मू और कश्मीर राज्य के विधान की शक्तियां संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अंतर्गत प्रयोज्य हैं।

2. 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' के अनुसरण में 31.10.2019 से तत्कालीन राज्य के 'विधान मंडल के साथ जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र' और 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' में विभाजन के पश्चात जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र 31.10.2019 की राजपत्र अधिसूचना का.आ.3937(अ) के द्वारा राष्ट्रपति शासन जारी रखा गया है। मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 74 के अनुसरण में संसद द्वारा व्यय संबंधी स्वीकृति लंबित होने के कारण भारत के माननीय राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि में से व्यय करने का प्राधिकार दिया था। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 81 के अनुसरण में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए व्यय जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि में से करने का प्राधिकार तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के माननीय राज्यपाल ने दिया था। वर्ष 2020-21 और 2019-20 की मांगों, जिसके लिए अधिनियम के अंतर्गत व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है, विभिन्न मांगों के अंतर्गत व्यय को संसद द्वारा स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

3. 31 अक्तूबर, 2019 को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बनने से जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच बहुत सी आशाएं जगी हैं। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तीव्र गति से विकास करने की आवश्यकता है। सरकार जम्मू और कश्मीर के लोगों की शांति, उन्नति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल/राष्ट्रपति का शासन लगने के बाद हमने पथ-प्रवर्तक कदम पहले ही उठा लिए हैं।

4. अभिशासन में सुधार लाना सबसे पहले किए जाने वाले कार्यों में से एक है और संघ राज्य क्षेत्र में कुछ प्रमुख सुधार जो पहले ही किए जा चुके हैं, वे हैं वित्तीय अनुशासन जैसे कि अनिवार्य ई-निविदा, कार्यों का निष्पादन शुरू होने से पहले प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृतियों आदि जैसी पूर्वापेक्षाओं का अनुपालन, बजट प्राक्कलन का कार्यान्वयन, आबंटन और निगरानी प्रणाली (बीईएएमएस), आरबीआई के साथ निक्षेपागारों के संयोजन के लिए ई-कुबेर, 100 प्रतिशत वास्तविक सत्यापन और सरकारी निक्षेपागारों से समय पर भुगतानों के अलावा ऑन लाइन भुगतान प्रणाली (पीएवाईएसवाईएस) आदि। जहां एक ओर सुधार किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परियोजनाओं को पूरा करने की ओर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है। राज्यक्षेत्र में 2800 परियोजनाएं, जिला क्षेत्र में 1165, 'वापस गांव की ओर' कार्यक्रम के अंतर्गत 1930 और जम्मू और कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम के अंतर्गत 483 सुस्त पड़ी परियोजनाएं पूरी की गई हैं। पिछले वर्ष पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या से इसकी स्वस्थ तुलना की जा सकती है। निधियां बिना उपयोग पड़ी रहें, इससे बचने के लिए भी सरकार ने उपाय किए हैं और जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की समेकित निधि में 1000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। जम्मू और कश्मीर में कुछ अन्य मुख्य सुधार किए गए हैं, वे हैं- 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन, जिला आयोजना और विकास बोर्डों का गठन तथा विद्युत क्षेत्र को उन्मुक्त करना। टोल टैक्स को समाप्त किया जाना उन प्रमुख सुधारों में से एक है जिनसे एक राष्ट्र, एक बाजार के सृजन में मदद मिली है। इसके अतिरिक्त, पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत यथा उपबंधित सभी केंद्रीय कानूनों का कार्यान्वयन समूचे जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में किया गया है।

5. व्यय को सुव्यवस्थित करने और संघ राज्य क्षेत्र को विकास के मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए संस्थागत मैकेनिज्म को सुदृढ़ करने की सरकार आशा रखती है।

6. कुछ समस्याओं के बावजूद, राजस्व और विकासात्मक व्यय दोनों के संदर्भ में व्यय की गति में विलक्षण अनुकूलता प्रदर्शित हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में जनवरी, 2020 के अंत तक समग्र व्यय 5,600 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। फरवरी, 2020 के अंत तक 13 प्रतिशत की जीएसटी वृद्धि हुई थी। महत्वपूर्ण रूप से, दिसम्बर, 2019 के लिए जीएसटी नकद की वृद्धि 40 प्रतिशत हुई थी तथा फरवरी, 2020 (नकद और ऋण) के लिए जीएसटी वृद्धि 31 प्रतिशत हुई जिससे इस प्राचल पर जम्मू और कश्मीर बेहतर निष्पादकों में से एक बन गया। दिसम्बर, 2019 के अंत तक स्टॉप ड्यूटी संग्रहण में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि, उत्पाद शुल्क संग्रहणों में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि और टोल टैक्स में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि से आर्थिक लचीलापन दृष्टिगोचर होता है। सेब का निर्यात पिछले वर्ष जितना ही हुआ है और हस्तशिल्प, क्रीवल और शॉल आदि का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुआ है। एटीएम और बैंक लेनदेन में भी पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक रुझान देखने को मिले हैं। वृहद-आर्थिक प्राचल दर्शाते हैं कि जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था परिवर्तनों की चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है।

7. बजट 2020-21:

7.1 जम्मू और कश्मीर के लिए 2020-21 का बजट पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा, जो जम्मू और कश्मीर को विकास का मॉडल बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का एक संकेतक है। यह जम्मू और कश्मीर के लिए परिकल्पित अब तक का सर्वाधिक बजट है। राजकोषीय वर्ष के लिए कुल 1,01,428 करोड़ रुपए का बजट अनुमान है, जिसमें से विकासात्मक व्यय 38,764 करोड़ रुपए का है और इसमें 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम

11 प्रतिशत की जीएसडीपी वृद्धि को हासिल करने की आशा करते हैं ताकि इस संघ राज्यक्षेत्र को सबसे तेज गति से बढ़ते हुए संघ राज्यक्षेत्र/राज्यों में से एक बना दिया जाए।

7.2 बजट के पूंजी घटक में पर्याप्त वृद्धि की गई है। 91,100 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है जबकि अनुमान है कि राजस्व व्यय 62,664 करोड़ रुपए का होगा जिससे 28,436 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के लिए राजस्व अधिशेष उपलब्ध रहेगा।

7.3 अनुमान है कि पूंजी प्राप्तियां 10,329 करोड़ रुपए की होंगी और पूंजीगत व्यय 38,764 करोड़ रुपए का होगा जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। अभिचिह्नित बजट का 38 प्रतिशत विकास अवसंरचना परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

8. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:

8.1 आधार के साथ-साथ व्यक्ति लाभ स्कीमों के संबंध में हम 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हासिल करने के प्रति कटिबद्ध हैं। वर्ष के दौरान काफी हद तक प्रगति पहले ही हो चुकी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, 45 लाख लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,705 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम के माध्यम से 60000 नए पेंशन मामलों को भी शामिल किया जाएगा। हमारी इच्छा है कि व्यक्ति लाभ स्कीमों, विशेषकर विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज हासिल किया जाए।

9. कृषि और बागवानी क्षेत्र:

9.1 जम्मू और कश्मीर की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर है। अतः हम कृषि, बागवानी और संबद्ध क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने का प्रस्ताव करते हैं।

9.2 उच्च घनत्व वाले सेब के पौधारोपण में ये संभावना है कि उससे किसानों की आय तीन से चार गुना बढ़ जाए। अतः क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत अतिरिक्त 1500 हेक्टेयर के अलावा 355 हेक्टेयर क्षेत्र को उच्च घनत्व वाले सेब के पौधारोपण के अंतर्गत लाया जाएगा। हमें उम्मीद है कि इससे इस क्षेत्र को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। तीव्र विस्तार के लिए क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु नीतियां अलग से तैयार की जा रही हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 19.80 लाख मीट्रिक टन सेब का निर्यात होता है। तथापि, उपलब्ध सीए भंडारण क्षमता फिलहाल लगभग 1.16 लाख मीट्रिक टन की ही है। किसानों को बेहतर कीमत सुनिश्चित करने के लिए हम धारण क्षमता में सुधार लाने हेतु सीए भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 1.70 लाख मीट्रिक टन करने की इच्छा रखते हैं।

9.3 17 मौजूदा बाजारों के अतिरिक्त 5 सैटेलाइट बाजारों को कार्यात्मक बनाया जाएगा।

9.4 सरकार द्वारा किए गए उपायों से कृषि क्षेत्र में धान और मक्का की उत्पादकता में वृद्धि करके 1.5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। हाइब्रिड सब्जियों के बीज और उच्च पोषण वाले विदेशी सब्जियों के बीजों को उपलब्ध कराने से 30000 किसान लाभान्वित होंगे। 20000 किसानों को खेती के यांत्रिकीकरण के अंतर्गत शामिल किया

जाएगा जिसके फलस्वरूप बुआई की लागत में कमी आएगी। 1000 किसानों को उनकी आजीविका में सुधार लाने के लिए मधुमक्खी कॉलोनियां प्रदान की जाएंगी।

9.5 केसर के फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी सुनिश्चित सिंचाई के साथ यथोचित ध्यान दिया जा रहा है जिससे आशा है कि पहले 2.5 किग्रा/हेक्टेयर की तुलना में फसल बढ़कर 4.5 किग्रा/हेक्टेयर हो जाएगी। सुगंधित पौधों की ख्याति बढ़ाने के लिए 500 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के लिए कृषि और बागवानी क्षेत्रों के लिए 1872 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आबंटन की तुलना में 680 करोड़ रुपए अधिक है।

10. पर्यटन और संस्कृति:

10.1 पर्यटन के संवर्धन के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में 40 करोड़ रुपए के अलावा हम पर्यटन अवसंरचना के सृजन और उन्नयन के लिए 560 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं। प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च किए जाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की पर्यटन अवसंरचना की भी शुरुआत की जाएगी।

10.2 जम्मू और कश्मीर में सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की भरमार है और उन्हीं सांस्कृतिक धरोहरों के परिरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपए अभिचिह्नित किए गए हैं।

11. तीर्थाटन पर्यटन पुनःऊर्जावान अर्थव्यवस्था:

11.1 श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या इस वर्ष (2020) 86 लाख पार कर जाने की संभावना है जो पिछले 5 वर्षों में अधिकतम होगी। इस वर्ष जून/जुलाई में शुरू होने वाली आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा से इस तथ्य को देखते हुए कि पवित्र तीर्थ स्थल पर श्रद्धा भाव अर्पित करने के अलावा यात्री पर्यटन स्थलों पर भी अवश्य भ्रमण करेंगे, आशा है कि जम्मू और कश्मीर का पर्यटन फिर से बढ़ेगा और इसके फलस्वरूप घाटी में पर्यटन उद्योग को भी पुनः ऊर्जा प्राप्त होगी जो वहां की अधिकतर आबादी की आजीविका का साधन है।

11.2 मैं निम्नलिखित 03 धार्मिक सर्किटों को भी शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ:

(क) शिव खोड़ी - उत्तर बनी - पुरमंडल - माता सुखराला देवी जी।

(ख) शंकराचार्य - माता खीर भवानी - मार्तंड (मड्डन)।

(ग) मख्दूम साहिब - खानका-ए-मौला - वतलब - बाबारेशी - पखरपोरा - ऐशमुकाम (सूफी सर्किट के रूप में)

वर्ष 2020-21 के लिए पर्यटन और संस्कृति क्षेत्रों के लिए 706 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आबंटन की तुलना में 260 करोड़ रुपए अधिक है।

12. ग्रामीण अर्थव्यवस्था:

12.1 मनरेगा के अंतर्गत 350 लाख दिनों की मजदूरी रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव है जिससे स्कीम के अंतर्गत 700000 परिवारों को रोजगार प्राप्त होगा। गांव में 90000 ग्रामीण आस्तियों का सृजन किया जाएगा और 79000 ग्रामीण परिवारों को पीएमएवाई(जी) के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। हम 200 नए पंचायत घरों के निर्माण का प्रस्ताव करते हैं।

12.2 जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा शुरू किए गए 'वापस गांव की ओर' कार्यक्रम को बहुत पसंद किया गया है और गांव में मूलभूत और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हम कार्यक्रम के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं।

12.3 पशुपालन और भेड़ पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हमारी डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़ पालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में 45000 स्वरोजगार सृजित करने की मंशा है। डिजिटल ग्राम कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया है जिससे समुदाय के भीतर एवं समुदायों के बीच तथा साथ-साथ सरकार के साथ परस्पर संपर्क के लिए ग्राम स्तर पर सुविधाएं मिलेंगी तथा सामाजिक रूप से संगत फिल्में दिखाई जाएंगी।

12.4 खेलकूद के संवर्धन के लिए 30 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। विभिन्न कन्वर्जेन्स पहलों के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र सरकार की इच्छा है कि संघ राज्यक्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में खेल के मैदान बनाए जाएं। हम वर्ष 2020-21 में भीतर और बाहर खेले जाने वाले अलग-अलग खेलों में पंद्रह लाख से अधिक युवाओं की प्रतिभागिता की आशा करते हैं।

12.5 अगले वित्त वर्ष (2020-21) के दौरान 1000 समुदाय स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जाएगा। 200 गोबर्धन इकाइयों के सृजन के अलावा 200 अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास के लिए 5,284 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आबंटन की तुलना में 1,951 करोड़ रुपए अधिक है।

13. शिक्षा क्षेत्र:

13.1 कॉलेजों के निर्माण/उनको पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। रोजगार योग्यता में सुधार लाने के लिए तथा माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर में कटौती लाने के लिए 52 से अधिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। डिजिटल पहल के अंतर्गत स्कूल जाने वाले बच्चों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों से रूबरू कराने के लिए प्रौद्योगिकी माध्यम शिक्षा (टीएमएल) हेतु 175 सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रयोगशालाएं और 224 कंप्यूटर समर्थित शिक्षा केंद्र (सीएएल) स्थापित किए जाएंगे तथा सूचना संचार प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर समर्थित शिक्षा केंद्र (आईसीटी/सीएएल) का संवर्धन किया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के लिए स्कूल और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए 2,392 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आबंटन की तुलना में 1,000 करोड़ रुपए अधिक है।

14. रोजगार और कौशल विकास:

14.1 सरकारी क्षेत्र में सरकार का 50000 रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव है स्वरोजगार पर यथोचित ध्यान दिया जाएगा और 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र को ऋण में वृद्धि की जाएगी और इसे बढ़ाकर 27,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। कोई भी बेरोजगार युवा जो स्वयं का कारोबार करने की इच्छा रखता है उसे विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत शामिल करने की हमारी इच्छा है। संघ राज्यक्षेत्र ने वित्तीय समावेशन के लिए एक अभियान की शुरुआत पहले ही कर दी है और हमारी इच्छा है कि इसे और अधिक बढ़ावा दिया जाए। कौशल विकास पर भी समुचित ध्यान दिया जाएगा। 64899 बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 209500 महिलाओं को 20950 स्वयं सहायता समूहों के दायरे में लाने के लिए परिक्रामी निधि के रूप में 31.42 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह जिन्होंने अच्छी प्रगति की है उनके लिए समुदाय निवेश निधि के रूप में 103.35 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। युवाओं की बेहतरी/रोजगार के लिए उनको शामिल करने हेतु संघ राज्यक्षेत्र की सरकार की प्रमुख पहल - मिशन यूथ के लिए 50 करोड़ रुपए अभिचिह्नित किए जा रहे हैं। 5000 शिल्पकारों के कौशल उन्नयन के लिए तथा शिल्प क्षेत्र के अंतर्गत शिल्प अनुदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए 7.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।

14.2 फिलीगिरी रजत शिल्प सहित पारंपरिक आभूषण निर्माण रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के साथ शुरू किया जाएगा। इससे युवाओं को विशेषज्ञ शिल्पकारों के माध्यम से कौशल प्रदान किया जाएगा।

14.3 जम्मू और कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (जीकेआरईजीपी) के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से 25.00 करोड़ रुपए के अनुमानित बजटीय प्रावधान से लगभग 7000 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के लिए 50000 रिक्त पदों को भरने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

15. स्वास्थ्य-कल्याण:

15.1 वर्ष 2016-17 और 2017-18 में भारत स्वास्थ्य सूचकांक पर जम्मू और कश्मीर सातवें नम्बर पर है। यह सूचकांक दर्शाता है कि स्वास्थ्य देखभाल के मामले में जम्मू और कश्मीर बेहतर निष्पादन करने वालों में से एक है। जम्मू और कश्मीर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिशन 2020 का शुभारंभ किया गया है ताकि मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो, संचारी और गैर-संचारी रोगों में कमी आए, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल का सुदृढीकरण हो और घर तक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में और अधिक सुधार लाने के उद्देश्य से, बारामूला, अनंतनाग, डोडा, राजौरी, कठुआ, हंदवाड़ा और ऊधमपुर में 7 नए मेडिकल कॉलेजों के अलावा 2 एम्स की स्थापना भी की जा रही है। संघ राज्यक्षेत्र के प्रत्येक जिले में 20 डिजीटल औषधालयों की स्थापना के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि अलग से रखी जा रही है। सरकार निर्धन रोगियों के लिए किफायती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 86 जन औषधि केंद्र और 16 अमृत स्टोर की स्थापना करेगी।

15.2 संघ राज्य क्षेत्र सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य देखभाल निवेश नीति (एचसीआईपी) का शुभारंभ कर रही है। परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य देखभाल निवेश नीति के अंतर्गत जम्मू और श्रीनगर में दो चिकित्सा-शहरों को स्थापित किया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,268 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्षों के बजट आबंटन से 500 करोड़ रुपये अधिक है।

16. उद्योग और वाणिज्य:

16.1 जम्मू और कश्मीर के जीएसडीपी में उद्योग का योगदान 27% से अधिक है। उद्योगों का संवर्धन सरकार के लिए प्रमुख क्षेत्रों में से एक है और निवेश को आकर्षित करने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसमें पर्यटन और आतिथ्य, कृषि और रेशम उत्पादन, फिल्म, बागवानी, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, दूध, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और ऊन उत्पादन, हर्बल एंड औषधीय पौधा, स्वास्थ्य एवं भेषज, विनिर्माण, आईटी एंड आईटीईएस, नवीकरणीय ऊर्जा, अवसंरचना एवं रियल एस्टेट, हथकरघा एवं हस्तशिल्प और शिक्षा एवं कौशल विकास शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर में वैश्विक निवेश सम्मेलन आयोजित करने के लिए 50 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे, प्रारंभिक अभ्यास के रूप में, दिल्ली में एक प्रस्तुति और मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में 06 रोड-शो पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। 12,930 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। जम्मू-कश्मीर भी कारोबारी सुगमता में सुधार के लिए प्रयास कर रहा है और वह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले संघ राज्य क्षेत्रों में से एक है।

16.2 इसके अलावा, ग्रामीण औद्योगिक विकास केंद्रों की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। नए ग्रामीण औद्योगिक संपदाओं में अपशिष्ट निपटान सुविधाओं सहित नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए और "कारोबारी सुगमता" को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। कारीगरों को उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ऋण पहुँच प्रदान करने हेतु कारीगर ऋण कार्ड योजना के अंतर्गत कारीगरों के लिए ब्याज आर्थिक सहायता प्रस्तावित है। बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिए कारीगरों और खरीदारों के बीच प्रत्यक्ष बाजार संबंध प्रदान करने हेतु जम्मू-कश्मीर के भीतर/बाहर 25 प्रदर्शनियों का आयोजन, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)/शिल्प विकास संस्थान (सीडीआई) के माध्यम से 5000 कारीगरों का कौशल उन्नयन, 300 सोसाईटियों के लिए प्रबंधकीय सब्सिडी, 6 जिलों में प्रायोगिक 'कारखंदाय योजना' की शुरुआत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के कुछ अन्य उपाय हैं।

16.3 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता सृजन में भागीदारी और स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी प्रणाली में प्रवेश करने के लिए युवाओं को आमंत्रित किया जाएगा। हैदराबाद, बंगलुरु के स्टार्टअप्स के अनुभवों को साझा करने का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय विशिष्ट मुद्दों के लिए नवप्रवर्तनकारी समाधान उपलब्ध कराने के लिए चुनौतियां सामने रखी जाएंगी और युवाओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के लिए औद्योगिक अवसंरचना क्षेत्र के लिए लगभग 494 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्षों के बजट आबंटन से 227 करोड़ रुपये अधिक है।

17. अवसंरचना निर्माण:

क) संपर्क सुविधा:

17.1 17 लाख लोगों को लाभान्वित करने वाली सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 400 करोड़ रुपये निर्धारित किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान 48 पुलों को पूरा किया जाएगा जिससे 1.6 लाख लोग लाभान्वित होंगे। मुगल सड़क को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला दूसरा मार्ग बनाने के लिए इस पर सुधार कार्य किए जाएंगे।

17.2 सड़क क्षेत्र के लिए 310 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं जिनसे 1.65 लाख लोग लाभान्वित होंगे और शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए जम्मू और श्रीनगर के लिए नव निर्मित मास रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन हेतु 8 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है और जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम की हालत में सुधार लाने के लिए 100 करोड़ रुपये अलग से दिए जा रहे हैं।

वर्ष 2020-21 के लिए लोक निर्माण कार्य और परिवहन क्षेत्रों के लिए 3,156 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्षों के बजट आबंटन से 758 करोड़ रुपये अधिक है।

ख) जलापूर्ति:

17.3 “जल जीवन मिशन (जेजेएम)” के अंतर्गत 2022 तक सभी संपर्क विहीन क्षेत्रों को 100% पानी की आपूर्ति की जाएगी और 180000 घरों में पानी का कनेक्शन प्रदान करने वाले लोक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंतर्गत 347 योजनाओं को पूरा किया जाएगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, 235000 जलापूर्ति नमूनों का परीक्षण किया जाएगा जिससे 14 लाख लोग लाभान्वित होंगे। पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल परीक्षण हेतु पंचायतों को क्षेत्र परीक्षण किट (एफटीके) प्रदान की जाएगी।

वर्ष 2020-21 के लिए लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए लगभग 2,265 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्षों के बजट आबंटन से 70 करोड़ रुपये अधिक है।

ग) विद्युत सुधार:

17.4 विद्युत क्षेत्र को उन्मुक्त करना संघ राज्य क्षेत्र के निर्माण के बाद लागू किए गए प्रमुख सुधारों में से एक है। हम एटीएंडसी नुकसान को कम करने और जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 2 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर सुधारों को और गहन बनाने का इरादा रखते हैं। सरकार एटी एंड सी नुकसान को वर्तमान के 49% से कम करके इसे न्यूनतम यानि राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी, जो मौजूदा 49% से उस स्तरों पर लाया जाएगा जिनकी राष्ट्रीय औसत से तुलना की जा सकती है। जम्मू-कश्मीर में रहने में आसानी लाने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार प्रमुख हैं और हम संघ राज्य क्षेत्र में

विद्युत क्षेत्र में सुधार के उपायों के कार्यान्वयन के लिए 607 करोड़ रुपये निर्धारित करने का इरादा रखते हैं। प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाना तथा 100% स्थानों पर मीटर लगाना कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।

18. पर्यावरण:

18.1 हम विश्व प्रसिद्ध डल और वुलर झीलों के अनुरक्षण/संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान 14794 हेक्टेयर क्षेत्र में 97 लाख पौधों का रोपण प्रस्तावित है।

19 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी:

19.1 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत, प्रस्तावित हस्तक्षेपों में उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना, राज्य स्थानिक डेटा केंद्र की स्थापना (जियो-पोर्टल), औषधीय और सुगंधित पौधों के प्रदर्शन फार्म की स्थापना और तरल क्रमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी (एलसीएमएस), जैव प्रौद्योगिकी पार्क आदि की स्थापना करना शामिल है।

वर्ष 2020-21 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए लगभग 156 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है, जो पिछले वर्षों के बजट आबंटन से काफी अधिक है और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन को बढ़ावा देने के अनुरूप है।

20. अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां कश्मीरी प्रवासियों के राहत और पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करना होगा। कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास तथा घाटी में लौटने के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के अंतर्गत उनके कष्टों को दूर करने के लिए आवास, रोजगार, पारगमन व्यवस्था, कर्ज माफी जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। इस पैकेज में युवाओं को घाटी में लौटने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 15000 बेरोजगारों के लिए रोजगार की परिकल्पना की गई है और यह प्रक्रिया इसके शुरू होने के बाद से ही जारी है। सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है और कश्मीरी प्रवासियों की उनके पैतृक स्थानों पर सम्मानजनक वापसी के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहती हूँ कि वर्ष 2020-21 के लिए कश्मीरी प्रवासियों के लिए वेतन, नकद सहायता, खाद्यान्न और नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के लिए 679 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है, जो पिछले वर्षों के बजट आबंटन से 319 करोड़ रुपये अधिक है।

21. पाक अधिकृत कश्मीर तथा पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास:

21.1 अनुच्छेद 370 के हटाए जाने और संघ राज्य क्षेत्र में राज्य के पुनर्गठन से, पाक अधिकृत कश्मीर और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने नागरिकता के अधिकार के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है, जो उन्हें 1947 से नहीं दी जा रही थी। उन्हें अब वे सभी अधिकार दिए जाएंगे जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को दिए जाते हैं। सरकार उनकी पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखेगी।

22. अविभाजित जम्मू और कश्मीर राज्य (1 अप्रैल, 2019 से 30 अक्टूबर, 2019 तक) के संबंध में 07 महीने की अवधि के लिए पूरक अनुदान:

22.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मूल अनुदान 88,911 करोड़ रुपये था। दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से 30 अक्टूबर, 2019 तक के दौरान, सेवाओं और अपेक्षित उद्देश्यों के लिए खर्चों को कम करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की समेकित निधि से संबंधित मांग के अंतर्गत अनुदान की 20,870.40 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि की निकासी की गई थी। स्थानीय निकाय चुनावों और सुरक्षा से संबंधित खर्चों के कारण यह काफी हद तक जरूरी हो गया था।

22.2. 1 अप्रैल, 2019 से 30 अक्टूबर, 2019 तक सात महीने की अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की समेकित निधि से 20,870.40 लाख रुपये के भुगतान और विनियोग-विधेयक को अधिकृत करने के लिए पूरक जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

23 जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020) के 5 महीने के लिए बजट अनुमान:

23.1 वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर, 2019 - 31 मार्च, 2020) के 5 माह के लिए 55,317.81 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं। इनमें से 40,498 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां हैं, 5,794 करोड़ रुपये के उधार हैं और 9,025.81 करोड़ रुपये के अर्थोपाय अग्रिम हैं। केंद्रीय करों में संघ राज्य क्षेत्र के भाग के रूप में 5,462 करोड़ रुपये की राशि तथा स्वयं का राजस्व लगभग 11,326 करोड़ रुपये का है। इसके अतिरिक्त, 23,710 करोड़ रुपये की राशि अन्य केंद्रीय अंतरणों के रूप में प्राप्त होनी है।

23.2 इन प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, अनुमान है कि 5 माह के दौरान 55,317.81 करोड़ रुपये का कुल व्यय होगा। इसमें से, 23,910.95 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय और 31,406.86 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय होगा।

23.3 माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप, जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों को 7वें सीपीसी भत्ते के अनुसार लाभ दिए जाने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 05 महीने के बजट में शिक्षा के लिए 670 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मजदूरी के लिए आबंटन में 250 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए “मिशन यूथ” कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक नई योजना “बैंक टू विलेज” पेश की गई है और इस उद्देश्य हेतु 121 करोड़ रुपये की राशि पहले ही प्रदान की जा चुकी है। गांव में अवसंरचना आवश्यकताओं में सुधार के लिए पाँच (05) महीनों के दौरान 75 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

24. लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020) के 05 महीनों के लिए बजट अनुमान:

24.1 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर, 2019 - 31 मार्च, 2020 तक) के 05 महीनों के लिए कुल बजट अनुमान 5,754.00 करोड़ रुपये का है। इसमें से, 4,618.35 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होगा और 1,135.65 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय होगा।

25. राजकोषीय संकेतक:

- 25.1 कर/जीएसडीपी अनुपात 6.59 प्रतिशत है जो कि पिछले वर्ष के 6.19 प्रतिशत से अधिक है।
- 25.2 पिछले वर्षों में ऋण/जीएसडीपी अनुपात 48% है, जो एफआरबीएम सीमा के भीतर है और वर्ष 2020-21 के दौरान भी एफआरबीएम सीमाओं के भीतर रहेगा।
- 25.3 वर्ष 2020-21 के लिए जीएसडीपी 2,01,054 करोड़ रुपये अनुमानित है जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि दर्शाता है।

26. अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सदन को अविभाजित जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए पूरक बजट (1.4.2019 से 30.10.2019 तक), जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए पाँच महीनों (31.10.2019 से 31.3.2020 तक) का बजट और वर्ष 2020-21 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट विचारार्थ प्रस्तुत करती हूँ।

**Supplementary Demand for Grants of erstwhile State of Jammu and Kashmir for 2019-20
(01st April, 2019 to 30th October, 2019),
Budget of the Union Territory of J&K and the Union Territory of Ladakh for 2019-20
(31st October, 2019-31st March, 2020)
and
Budget for the Union Territory of Jammu & Kashmir for 2020-21**

Speech of

Nirmala Sitharaman

Minister of Finance

March 17, 2020

Mr. Speaker Sir,

1. Hon'ble Members of this august House are aware that by invoking of Article 92 of the Jammu and Kashmir Constitution, the erstwhile State of Jammu & Kashmir was placed under Governor's Rule on 19th June, 2018. As per Article 356, after the expiry of six months of Governor's Rule, the State came under the President's Rule as mandated by the Constitution of India and the powers of the legislature of the erstwhile State of the Jammu & Kashmir are exercisable by or under the authority of the Parliament.

2. After the bifurcation of erstwhile State into 'Union Territory of Jammu & Kashmir with legislature' and 'Union Territory of Ladakh' in accordance with "The Jammu & Kashmir Reorganisation Act, 2019" w.e.f. 31.10.2019, the Union Territory of Jammu & Kashmir continues to be under the President's Rule vide Gazette Notification S.O. 3937(E) dated 31.10.2019. I would like to mention that in pursuance of section 74 of the Jammu & Kashmir Reorganisation Act, 2019 the Hon'ble President of India had authorized the expenditure out of the Consolidated Fund of the Union Territory (UT) of the Jammu and Kashmir pending the sanction of such expenditure by the Parliament. Also, Hon'ble Governor of erstwhile State of Jammu & Kashmir, in pursuance to Section 81 of the Jammu & Kashmir Reorganisation Act, 2019, authorized the expenditure for the UT of Ladakh out of the Consolidated Fund of the UT of Jammu & Kashmir. The expenditure under various demands is required to be sanctioned by the Parliament for 2020-21 as well as demands for 2019-20 for which expenditure sanction has been granted under the Act.

3. Creation of the Union Territory of Jammu & Kashmir on 31st of October, 2019 has created a lot of hope amongst the people of J&K. There is a need to fast-track development to meet the aspirations of the people. The Government is committed to peace, progress and prosperity of the people of J&K. We have already taken path-breaking steps after imposition of Governor's/President's rule in the J&K.

4. Improving Governance has been one of the first tasks and some of the key reforms that have already taken roots in the UT are significantly improved financial discipline, such as mandatory e-tendering, compliance with pre-requisites such as administrative approval and technical sanctions etc. before commencement of execution of works, implementation of Budget Estimation, Allocation and Monitoring System (BEAMS), e-Kuber for integration of treasuries with RBI, online payment system (PAYSYS) etc. besides 100% physical verification and timely payments from government treasuries. While on one hand reforms are being implemented, there is equal focus on completion of projects. The number of projects completed in State Sector is 2800, 1165 in District sector, 1930 under "Back to Village" Programme and 483 languishing projects under Jammu and Kashmir Infrastructure Development Finance Corporation. This bears a healthy comparison to the number of projects completed during last year. The Government has also taken measures to avoid parking of funds and over ₹ 1,000 crore has been ploughed back in the Consolidated Fund of the Union Territory of J&K. Some other major reforms undertaken in J&K is implementation of 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, constitution of District Planning and Development Boards, and unbundling of Power Sector. Abolition of Toll Tax has been one of the major reforms that has helped in creation of one nation, one market. Besides all the central laws as provided under Re-organisation Act, 2019 have been implemented across the Union Territory of the Jammu and Kashmir.

5. Government of India hopes to strengthen institutional mechanisms further for streamlining expenditure and make the UT a model of development.

6. Notwithstanding some of the problems, the pace of development has shown a remarkable resilience both in terms of revenue and development expenditure. The overall expenditure has gone up by ₹ 5,600 crore by end of January, 2020 compared to last year. GST growth at end of February, 2020 was 13%. Significantly, growth of GST cash for December, 2019 was 40% and GST growth for February, 2020 (cash and credit) was 31%, making J&K one of the better performers on this parameter. Economic resilience is also indicated by growth of over 60 % in stamp duty collections, 7.5 % growth in excise collections, and growth of 1.7% in toll tax at end of December, 2019. Apple exports have been at par with last year, and export of handicrafts, crewel, shawls etc have been greater than last year. The ATM and Bank transactions have also shown positive trend as compared to last year. The macro-economic parameters show that J&K economy has risen up to the challenges of transition and continues to do well.

7. Budget 2020-21:

7.1 The budget for 2020-21 for J&K shall cross ₹ 1 lakh crore mark for the first time, an indicator of our commitment to make J&K a model of development. This is the highest ever budget envisaged for Jammu and Kashmir. The total budget estimates for the fiscal is ₹ 1,01,428 crore, of which developmental expenditure is of the order of ₹ 38,764 crore, an increase of 27%. We hope to achieve GSDP growth of 11%, making the UT one of the fastest growing UTs/States.

7.2 The capital component of the budget has increased substantially. The expected revenue receipts are ₹ 91,100 crore whereas Revenue expenditure is expected to be ₹ 62,664 crore thereby making available revenue surplus for capital expenditure to the tune of ₹ 28,436 crore.

7.3 The Capital Receipts are projected at ₹ 10,329 crore and Capital Expenditure is expected to the tune of ₹ 38,764 crore which is 27% higher than previous years' budget. 38% of the earmarked Budget shall be spent on development and infrastructure projects.

8. Direct Benefit Transfer:

8.1 We are committed to achieving 100% DBT in respect of individual beneficiary schemes, besides Aadhar seeding. Significant progress has already been achieved during the year. During the current financial year, ₹ 1,705 crore has been disbursed through DBT to 45 Lakh beneficiaries. 60000 new pension cases shall be covered through Direct Benefit Transfer Scheme. We intend to achieve 100% coverage under individual beneficiary schemes, particularly under various scholarship schemes.

9. Agriculture and Horticulture Sector:

9.1 Nearly 70% of population of J&K depend upon agriculture and allied sectors. Therefore, we propose to give special focus on agriculture, horticulture and allied sectors.

9.2 High Density Apple plantation has potential to increase the income of farmers by 3 to 4 times. Therefore, an area of 355 Hectares shall be brought under High Density Apple Plantation, besides additional 1500 Hectares under area expansion. We hope that this will have necessary demonstration effect to galvanize this sector. Besides policies are being formulated to attract the investment in the sector for faster expansion. Nearly 19.80 lakh metric tons of apple are exported every year. However, the CA storage capacity available is only 1.16 lakh metric ton as of now. We intend to increase CA storage capacity to 1.70 lakh MTs to improve the holding capacity for ensuring better price to farmers.

9.3 Five Satellite Markets shall be made functional in addition to 17 existing markets.

9.4 With Government's intervention in agriculture sector 1.5 lakh farmers shall get benefitted by increasing the productivity of Paddy and Maize. 30000 farmers will be benefitted by providing hybrid vegetable seeds and high value exotic vegetable seeds. 20000 farmers will be covered under farm mechanization which in turn will reduce the cultivation cost. 1000 farmers will be provided bee colonies to improve their livelihood.

9.5 Due attention is also being provided to increase productivity of saffron crop which is expected to increase to 4.5 kg/Hectare as against 2.5 kg/Hectare earlier, with assured irrigation. 500 Hectares would be utilized for popularization of Aromatic Plants.

For Agriculture and Horticulture Sectors an allocation of ₹ 1,872 crore has been made for the year 2020-21 which is ₹ 680 crore more than previous years' budget allocation.

10. Tourism and Culture:

10.1 We propose to provide ₹ 560 crore for creation and up-gradation of tourism infrastructure, besides ₹ 40 crore as additional support for promotion of tourism. Tourism infrastructure worth ₹ 1,000 crore shall also be taken up under Prime Minister's Development Programme to be spent for various projects.

10.2 J&K has a rich source of cultural heritage sites and ₹ 100 crore has been earmarked for preservation of cultural heritages.

11. Pilgrimage Tourism re-energizing economy:

11.1 The number of pilgrims visiting Shri Mata Vaishno Devi Shrine is likely to cross 86 lakh this year (2020), which will be highest in the last five years. The ensuing Shri Amarnath Ji Yatra comencing in June/July this year may bring hope of revival of tourism in J&K in view of the fact that the Yatris besides paying obeisance at the holy Shrine also visit other tourism locations thus re-energizing Tourism Industry in the Valley which is the livelihood of major chunk of the population.

11.2 I also propose introduction of following 3 religious circuits:

- a) **Shiv Khori – Uttar Bani –Purmandal - Mata Sukhrala Deviji.**
- b) **Shankaracharya – Mata Khir Bhawani – Martand (Mattan).**
- c) **Makhdoom Sahib – Khanqah-e-Moula – Watlab – Babareshi– Pakharpora - Aishmuqam(as sufi circuit).**

For Tourism and Culture sectors an allocation of ₹ 706 crore has been made for the year 2020-21, which is ₹ 260 crore more than previous years' budget allocation.

12. Rural Economy

12.1 It is proposed to generate 350 lakh days of wage employment under MGNREGA thereby providing 700000 households employment under the scheme. 90000 rural assets shall be created in villages and 79000 rural households shall be covered under PMAY (G). We propose to construct 200 new panchayat ghars.

12.2 The "Back to Village" programme launched by Government of J&K has been very well received and we propose to provide ₹ 200 crore under the programme for providing basic and other amenities in villages.

12.3 Animal and sheep husbandry is being accorded special focus and we intend creating 45000 self-employment jobs in dairy, poultry, sheep husbandry and fisheries sectors. A Digital Village Programme has been rolled out which shall provide facilities at village level for intra/inter community interactions as well as interface with the Government, besides for screening of socially relevant films.

12.4 ₹ 30 crore has been provided for promotion of sports. Union Territory Government under various convergence initiatives intends to establish playgrounds in each panchayat of the Union Territory. We expect participation of more than 15 lakh youth in different indoor and outdoor games in the year 2020-21.

12.5 During the financial year (2020-21), 1000 community sanitary complexes shall be constructed. 200 solid waste management plants shall be established, besides 200 Gobardhan units shall be created.

For Rural Development an allocation of ₹ 5,284 crore has been made for the year 2020-21 which is ₹ 1,951 crore more than the previous years' budget allocation.

13. Education Sector:

13.1 ₹ 300 crore is being provisioned for construction/completion of colleges. More than 52 schools shall provide vocational education for improving employability and to reduce the dropout rate at secondary level. 175 Information Communication Technology (ICT) labs & 224 Computer Aided Learning Centres (CAL) for Technology Mediated Learning (TML) and promotion of Information Communication Technology/Computer Aided Learning Centres (ICT/CAL) shall be established for providing exposure to school going children to modern technologies under digital initiative.

For School and Higher Education Sector an allocation of ₹ 2,392 crore has been made for the year 2020-21 which is ₹ 1,000 crore more than the previous years' budget allocation.

14. Employment and Skill Development:

14.1 The Government proposes to fill up 50000 vacancies in Government sector. Self-employment will receive due attention and priority sector lending in 2020-21 shall be increased upwards of ₹ 27,000 crore. We intend to cover any unemployed youth who wishes to set up his/her own business under various schemes. The UT has already launched a campaign for financial inclusion and we intend to impart further impetus to this. Skill enhancement shall be accorded due attention. 64899 unemployed youth shall be provided skill training. ₹ 31.42 crore is being provided as revolving fund to bring 209500 women under the fold of 20950 Self Help Groups. ₹ 103.35 crore shall be provided as community investment fund for Self Help Groups which have shown due progress. ₹ 50 crore is being earmarked for Mission Youth – Union Territory Government's major initiative for engagement of youth for their upliftment/employment. ₹ 7.50 crore is being provisioned for skill up-gradation of 5000 craftsmen and for capacity building of craft instructors under handicrafts sector.

14.2 A traditional jewellery making with filigree silver crafting shall be opened with the Gem Jewellery Export Promotion Council (GJEPC). This shall impart skills through master craftsmen for youth.

14.3 It is further proposed to provide employment opportunities to about 7000 unemployed educated youth under J&K Rural Employment Generation Programme (JKREGP) at an estimated budgetary provision of ₹ 25.00 crore through Khadi & Village Industries Board.

For filling up of 50000 vacant posts there is an allocation of ₹ 2,000 crore for the year 2020-21.

15. Wellness:

15.1 J&K is ranked 7th on India health index in 2016-17 and 2017-18. The indices show that J&K is amongst better performers on provision of health care. Mission 2020 has been launched by J&K Health Department to improve maternal and child care services, reducing burden of communicable and non-communicable diseases, strengthening secondary and tertiary health care and to provide health care at door steps. To further improve health care facilities, two AIIMS are being set up besides seven new Medical Colleges at Baramulla, Anantnag, Doda, Rajouri, Kathua, Handwara and Udhampur. An amount of ₹ 8 crore is being set aside for setting up of 20 digital dispensaries in each district of the Union Territory. Government shall set-up 86 Jan Aushadi Kendras and 16 AMRIT stores for affordable medicines for poor patients.

15.2 The Union Territory Government is rolling out Health Care Investment Policy (HCIP) for quality health care. Adequate provision has been made to fund the project. Two Medi-cities at Jammu and Srinagar shall be established under Health Care Investment Policy.

For Health and Medical Education Sector an allocation of ₹ 1,268 crore has been made for the year 2020-21 which is ₹ 500 crore more than the previous years' budget allocation.

16. Industries and Commerce:

16.1 The contribution of Industry towards J&K GSDP is over 27 %. The promotion of Industries is one of the focus areas of the Government and 14 key sectors have been identified for attracting investment including Tourism and Hospitality, Agriculture and silk Production, Films, Horticulture, Agro & Food Processing, Milk, Poultry, Fisheries & Wool Production, Herbal & Medicinal Plants, Health and Pharmaceuticals, Manufacturing, IT & ITES, Renewable Energy, Infrastructure & Real Estate, Handloom & Handicraft and Education & Skill Development. ₹ 50 crore shall be provided for holding Global Investors Summit in J&K. As preparatory exercise, one curtain raiser at Delhi and 06 road shows have already been held in cities such as Mumbai, Ahmadabad, Kolkata, Chennai, Bengaluru and Hyderabad. MoUs worth ₹ 12,930 crore have already been signed. J&K has also been making efforts to improve ease of doing business and is among the best performing UTs.

16.2 Further, ₹ 200 crore shall be provisioned for establishment of Rural Industrial Growth Centres. ₹ 100 crore is proposed for creation of new infrastructure including waste disposal facilities in new rural industrial estates and to augment "Ease of doing Business". Interest subvention is proposed to artisans under Artisan Credit Card Scheme in order to provide them credit access for their economic empowerment. Organization of 25 exhibitions within/outside J&K in order to provide direct market linkage between artisans and buyers to eliminate the role of middlemen, skill up-gradation of 5000 craftsmen through Indian Institute of Carpet Technology (IICT)/ Craft Development Institute (CDI), Managerial Subsidy for 300 societies, introduction of 'Karkhandar Scheme' on pilot basis in 6 districts are some of the other measures to boost industrial development.

16.3 For promoting start-ups, an invitation to youth to participate in awareness building and for entering the start-up eco-system shall be undertaken. Sharing experiences of start-ups from Hyderabad, Bengaluru and Gurugram will be organised. Challenges will be posed for providing innovative solutions for local specific issues and youth shall be invited to participate.

For Industrial Infrastructure Sector an allocation of about ₹ 494 crore has been made for the year 2020-21 which is ₹ 227 crore more than the previous years' budget allocation.

17. Building Infrastructure:

a) Connectivity:

17.1 ₹ 400 crore is being earmarked to improve the quality of roads benefiting 17 lakh people. 48 bridges benefiting 1.6 lakh people shall be completed during the year. Improvement works shall be undertaken on Mughal Road to make it an alternate route connecting Jammu and Srinagar.

17.2 ₹ 310 crore is being set aside for road sector benefiting 1.65 lakh persons and ₹ 8 crore is being provided for newly created Mass Rapid Transit Corporations for Jammu and Srinagar to improve urban transport system. ₹ 75 crore is being provisioned to improve public transport system and ₹ 100 crore is being set aside to restore health of J&K Road Transport Corporation.

For Public Works and Transport Sectors an allocation of ₹ 3,156 crore has been made for the year 2020-21 which is ₹ 758 crore more than the previous years' budget allocation.

b) Water Supply:

17.3 100% water supply shall be provided to all the unconnected areas by 2022 under “**Jal Jeevan Mission (JJM)**” and 347 schemes shall be completed under Public Health and Engineering sector providing water connections to 180000 households. To ensure quality, 235000 water supply samples shall be tested benefitting population of 14 lakh. Field testing kits (FTKs) shall be provided to panchayats for conducting water tests to ensure safe drinking water.

For Public Health Engineering, Irrigation and Flood Control an allocation of about ₹ 2,265 crore has been made for the year 2020-21 which is ₹ 70 crore more than the previous years' budget allocation.

c) Power Reforms:

17.4 Unbundling of power sector is one of the key reforms implemented after the creation of the Union Territory. We intend to deepen the reforms which shall include installation of 2 lakh Smart Meters with the objective of reducing AT&C losses and improving quality of power supply to the people of J&K. Government shall take all necessary measures to reduce the AT&C losses from present 49 % to levels comparable to the national average. The power sector

reforms are key to ease of living in J&K and we intend to earmark ₹ 607 crore for implementation of measures for improvement of power sector in the UT. Strengthening of enforcement and 100% metering are some of the Key objectives.

18. Environment:

18.1 We propose to provide ₹ 50 crore for restoration/preservation of world famous Dal and Wular lakes. Planting of 97 lakh plants covering 14794 hectares is proposed during 2020-21.

19. Science, Technology and Information Technology:

19.1 Under Science, Technology and Information Technology sector, interventions proposed include establishment of Sub-Regional Science Centre, establishment of State Spatial Data Centre (Geo-portal), setting up of Medicinal and Aromatic Plants Demonstration Farms and Liquid Chromatography Mass Spectroscopy (LCMS), Biotechnology Parks etc.

For Information Technology Sector an allocation of about ₹ 156 crore has been made for the year 2020-21 which is substantial increase over the previous years' budget allocation and is in line with promoting Minimum Government, Maximum Governance.

20. Speaker Sir! I must mention here the steps undertaken for the relief and rehabilitation of the Kashmiri Migrants. Under the Prime Ministers Package for Return and Rehabilitation of Kashmiri Migrants to Valley various incentives like housing, employment, transit accommodation, waiver on loan etc. are provided for mitigating their sufferings. This package envisages employment to 15000 unemployed youth as an incentive to return to valley and this process is continuing since its inception. The Government is sensitive about this issue and adequate measures shall be taken for honorable return of Kashmiri Migrants to their ancestral places.

I shall like to mention here that an allocation of ₹ 679 crore has been made for salary, cash assistance, food grains and civic action programme for Kashmiri Migrants for the year 2020-21 which is ₹ 319 crore more than the previous year.

21. Rehabilitation of Pok and West Pakistan Refugees:

21.1 With the abrogation of Article 370 and Re-organisation of State into Union Territory, the PoK and West Pakistan Refugees have qualified for citizenship rights which were denied to them since 1947. They will now get all the rights due to every citizen of this country. The Government shall take care of their rehabilitation needs.

22. Supplementary Grant for the period of 07 Months in respect of undivided Jammu & Kashmir state (w.e.f 1st April, 2019-30th Oct, 2019):

22.1 The original grant for the financial year 2019-20 was ₹ 88,911 crore. During the course of year from 1st April, 2019 to 30th of October, 2019 an amount of ₹ 20,870.40 Lakh had been withdrawn in excess of grant under the relevant demand out of the Consolidated Fund of the Jammu and Kashmir State to defray expenses on services and purposes required during the period. This had been largely necessitated due to expenses related to local body elections and security related expenditure.

22.2 The Supplementary Jammu and Kashmir Appropriation Bill is proposed to be presented to authorize payment and appropriation of ₹ 20,870.40 Lakhs from and out of the Consolidated Fund of the Jammu and Kashmir State for the period of seven months w.e.f 1st April, 2019 to 30th October, 2019.

23. Budget Estimates for 05 months of Financial Year 2019-20 (from 31st October, 2019 – 31st March, 2020) for the Union Territory of Jammu and Kashmir:

23.1 The total receipts for last 05 months of 2019-20 (31st Oct, 2019-31st March, 2020) are estimated at ₹ 55,317.81 crore. Of these, ₹ 40,498 crore are revenue receipts, ₹ 5,794 crore are in the form of borrowings and ₹ 9,025.81 crore are Ways & Means Advances. The own revenues are estimated to be ₹ 11,326 crore with ₹ 5,462 crore as the share of the Union Territory in central taxes. In addition to this, ₹ 23,710 crore are to flow as other central transfers.

23.2 Given these receipts, the total expenditure is estimated to be ₹ 55,317.81 crore during 05 months. Of this, capital expenditure would be ₹ 23,910.95 crore and revenue expenditure ₹ 31,406.86 crore.

23.3 In line with commitment of Hon'ble Prime Minister and Hon'ble Home Minister, a provision of ₹ 3,000 crore has been made for extension of benefits as per 7th CPC allowances to employees of J&K. Additional provision of ₹ 670 crore has been made for education in 05 months budget. Allocation for wages has been enhanced by ₹ 250 crore. In order to promote self-employment, ₹ 10 crore has been provisioned for the programme "Mission Youth". A new scheme "**Back to Village**" programme has been introduced and an amount of ₹ 121 crore has already been provided for the purpose. A sum of ₹ 75 crore is proposed to be provided during the five (05) months for improving infrastructural requirements in the villages.

24. Budget Estimates for 05 months of Financial Year 2019-20 (from 31st October, 2019 – 31st March, 2020) for the Union Territory of Ladakh:

24.1 The total budget estimates, for the Union Territory of Ladakh, for last 5 months of FY 2019-20 (from 31st October, 2019-31st March, 2020) are ₹ 5,754.00 crore. Of this, capital expenditure would be ₹ 4,618.35 crore and revenue expenditure would be ₹ 1,135.65 crore.

25. Fiscal Indicators:

25.1 The tax/GSDP ratio is 6.59 percent which is higher than the previous year of 6.19 percent.

25.2 Debt/GSDP ratio for previous years is 48 % which is within FRBM limits and will remain within the FRBM limits in 2020-21 also.

25.3 GSDP for the year 2020-21 has been projected at ₹ 2,01,054 crore which shows a growth of 11 % over previous year.

Mr. Speaker Sir, with these words I present to the House the Supplementary Budget for undivided State of the Jammu & Kashmir (for 1.4.2019 to 30.10.2019), five months budget (from 31.10.2019 to 31.3.2020) each for the Union Territory of Jammu & Kashmir and the Union Territory of Ladakh and budget of the Union Territory of Jammu & Kashmir for the year 2020-21 for further consideration.

